भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3158
दिनांक 18 दिसंबर 2025

शहरी गैस वितरण और राष्ट्रीय गैस ग्रिड कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण

3158. श्री आलोक शर्माः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार किए जाने संबंधी प्रगति क्या है और प्रचालनशील तथा निर्माणाधीन पाइपलाइनों की कुल लंबाई कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है और शेष क्षेत्रों को जोड़े जाने की योजना क्या है तथा इसकी समय-सीमा क्या है;
(ग) सुदूर, पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के विशेष संदर्भ में विश्वसनीय पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) शहरी गैस वितरण प्रचालनों के लिए ट्रंक पाइपलाइन से वर्तमान में जुड़े भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या क्या है और अभी तक शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में तीव्रता लाने के लिए भौगोलिक क्षेत्र-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकरण है। सितंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, पीएनजीआरबी ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विकास के लिए लगभग 34,238 किमी एनजीपीएल नेटवर्क को प्राधिकृत किया है, जिसमें सामान्य कैरियर पाइपलाइन, स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल हैं, जिन्हें पीएनजीआरबी प्राधिकार में विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाना है। इसमें से लगभग 25,923 किमी प्रचालित हो चुका है। विगत पांच वर्षों के दौरान, लगभग 5,201 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालित की गई हैं।

वर्तमान मे, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत किए गए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के तहत आते हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीएनजीआरबी ने मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम राज्यों को जोड़ने वाले नॉर्थ-ईस्ट प्राकृतिक गैस ग्रिड (एनईजीजी) को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया है। पीएनजीआरबी ने एनईजीजी परियोजना को पूरा करने के लिए 31.03.2026 तक का विस्तार दिया है।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन देना और पाइपलाइन अवसंरचना बिछाना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास का हिस्सा है, जिसे पीएनजीआरबी-प्राधिकृत कंपनियां अपने-अपने न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लूपी) के अनुसार करती हैं।

12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर पूरे होने के बाद, पीएनजीआरबी ने 307 भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सीजीडी नेटवर्क को प्राधिकृत किया है, जो देश की पूरी मुख्य भूमि(जिसमें सुदूर, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं) को कवर करता है । अनुमोदित एमडब्लूपी के अनुसार, प्राधिकृत कंपनियों को वर्ष 2034 तक लगभग 12.6 करोड़ पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन देने और लगभग 5.46 लाख इंच-किमी पाइपलाइन अवसंरचना बिछाने की आवश्यकता है। दिनांक 30.09.2025 की स्थिति की अनुसार, देश भर में 1.55 करोड़ से ज़्यादा पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 6.2 लाख इंच-किमी से ज़्यादा पाइपलाइन बिछाई जा चुकी हैं।

पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कुल 307 जीए में से, 222 जीए वर्तमान में ट्रंक पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं।
सरकार ने देश भर में पीएनजी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों को घरेलू प्राकृतिक गैस का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपथन; सीजीडी नेटवर्क और राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार; एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना; और एसएटीएटी पहल के तहत संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, गहरे पानी, अति-गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस को सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के बोलीदाताओं को प्राथमिकता पर देने का आदेश भी दिया गया है, जहाँ भी आनुपातिक वितरण की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सुदूर, पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित जीए-वार कनेक्टिविटी में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें उपलब्ध माध्यमों से पीएनजी के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति को सक्षम करने वाली अधिसूचना, जिसमें कैस्केड मोड शामिल है; साथ ही सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा देना; रक्षा आवासीय क्षेत्रों और इकाइयों में पीएनजी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना; सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी प्रावधान शामिल करने के लिए परामर्शिका; और सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी द्वारा विकसित किए जा रहे सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी का अनिवार्य प्रावधान शामिल है।

सरकार और पीएनजीआरबी, प्राधिकृत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक रिपोर्ट के आधार पर सीजीडी नेटवर्क लागू करने की प्रगति की नियमित निगरानी करते हैं। विलम्ब या कमियों के मामले में, पीएनजीआरबी मौजूदा विनियमों के तहत प्रगति समीक्षा बैठक और सांविधिक सुनवाई सहित सुधारात्मक उपाय करने के लिए कंपनियों को सलाह देता है। सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने और इसे तेज़ी से लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और निष्पादन करने वाली एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय भी करती है।

*****